मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

मूलचंद के घर से चंद किलोमीटर दूरी पर खनन 3
आढ़तियों का 400 करोड़ कमीशन हड़पने का आरोप 4
बनी बनायी सड़कों को फिर से बनायेंगे धंधेबाज अफसर 5
'मुस्लिम साहित्य' से धर्मांतरण सरकार का नया शिगूफ़ा 6
खोरी के मामले में 'आप' की नौटंकी 8

वर्ष 34 | अंक 33 | फरीदाबाद | 27 जून-3 जुलाई 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

डीटीपी दफ्तर : फ्रॉड और लूट का अड्डा

जिला नगर योजनाकार की बयानबाजी से बरसने लगा धन

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः जिला नगर योजनाकार (प्लानिंग) भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। यहां पर अवैध निर्माण का सर्वे करने की आड़ में कमाई का नया जरिया खोजा गया है। सर्वे हो नहीं रहा और न सरकार को कोई आमदनी हो रही है, लेकिन डीटीपी दफ्तर में कुछ छोटे से लेकर बड़े अफसरों के पेट अवैध कमाई से जरूर भर रहे हैं।

क्या है मामला

हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में हूडा के सेक्टरों, बिल्डरों की सोसाइटियों में फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) बढ़ाने की घोषणा की, जिसके बदले सरकार मूल आवंटी या कब्जेदार से कुछ फीस वसूलेगी। बिल्डरों के दबाव में लाई गई इस पॉलिसी से सरकार को बताया गया था कि उसे अकेले फरीदाबाद और गुड़गांव से बहुत आमदनी होगी। लेकिन इस घोषणा से बिल्डरों और डीटीपी व उनके दफ्तर से जुड़े अफसरों की बांछें खिल गईं। बिल्डरों ने फ्लोर के हिसाब से फ्लैटों के रेट फौरन बढ़ा दिए।

डीटीपी रेणुका सिंह का बयान

उधर सरकार की एफएआर पॉलिसी जारी हुई और इधर डीटीपी फरीदाबाद रेणुका सिंह ने पिछले साल अखबारों में बयान देकर जानबूझकर खबर छपवाई कि इस नीति की वजह से ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रीन फील्ड जैसी बिल्डर कॉलोनियों में चूंकि अवैध निर्माण हो रहे हैं, इसलिए मैं दो टीमों का गठन कर रही हूं जो इन इलाकों में घर-घर जाकर उस

डीटीपी रेणुका सिंह

फ्लैट या मकान के कम्पीलशन सर्टिफिकेट की जांच करेंगे और मौके पर देखेंगे कि कितना निर्माण हुआ है। रेणुका सिंह ने बयान में यह भी कहा था कि ऐसे अवैध निर्माणों को एक मौका दिया जाएगा। अगर प्लॉट मालिक या फ्लैट मालिक ने फीस जमा करा दी तो उसके अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाएगा। पैसा न जमा कराने वालों का कम्पलीशन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा। संबंधित तहसीलदार को लिखा जाएगा कि आगे से उस मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री न हो। डीटीपी ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ अर्बन एरिया/कंट्रोल एरिया एक्ट के अनुसार कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही रेणुका सिंह ने इस संबंध में शहर के वास्तुकारों को भी चेतावनी दी कि वे अवैध निर्माण की गतिविधियों में शामिल न हों।

क्या हुआ सर्वे का

डीटीपी रेणुका सिंह की दोनों टीमों ने पिछले एक साल में कितने घरों का सर्वे किया, कितना पैसा सरकार को फीस के रूप में मिला, बिल्डरों या भवन मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस संबंध में रेणुका सिंह ने मीडिया को दोबारा नहीं बताया। मीडियाकर्मी और उधर चंडीगढ़ में बैठे अफसर रेणुका सिंह के बयान का इंतजार करते रहे कि शायद वे सरकार को करोड़ों की आमदनी का कोई आंकड़ा पेश करें।

पर, हकीकत यह है कि रेणुका सिंह ने अपना जो बयान अखबारों में छपवाया था, उसका असर अगले दिन से दिखना शुरू हो गया। अगले दिन से उनके दफ्तर में बिल्डरों की लाइन लग गई। कुछ उनसे मिलने आए और कुछ ने डीटीपी दफ्तर में अपनी सांठगांठ पहले से बना रखी है, तो वे उन अफसरों और कर्मचारियों के पास पहुंच गए। हर बिल्डर ने जो भी 'सहयोग राशि' बनती थी, उसका चढ़ावा चढ़ाया, उसके बाद डीटीपी ने न कोई सर्वे किया और न सरकार को कोई खास आमदनी हुई। जो कुछ भी आमदनी हुई वो फरीदाबाद और गुड़गांव के डीटीपी और उनके दफ्तर के बाकी अफसरों और कर्मचारियों को हुई।

किसी सरकारी योजना को लेकर किया गया यह एक तरह का बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला है, जिसमें डीटीपी दफ्तर सीधे शामिल है। डीटीपी दफ्तर का एनफोर्समेंट विंग भी इस तरह के घोटाले में शामिल है। जो इन दिनों फरीदाबाद में सिर्फ गरीबों की बस्तियों को उजाड़ रहा है लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद या अन्य जगहों पर जो बिल्डर कानून तोड़ रहे हैं, उनकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वहां से सीधे पैसा आता है।

सेक्टरों में अंधेरगर्दी

ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटियों में खुली अंधेरगर्दी हो रही है। बिल्डरों ने सरकार के एफएआर की धज्जियां उड़ा कर फ्लैट बनाए हैं। उन्हीं के दबाव पर हरियाणा सरकार ने एफएआर बढ़ाया था लेकिन दरअसल, यह उनके अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए किया गया फैसला था। बिल्डर फ्लैट बेचकर निकल चुका है लेकिन फ्लैट मालिक अब एफएआर से लेकर तरह-तरह की समस्या से जूझ रहे हैं।

इसी संबंध में पिछले दिनों ग्रेटर फरीदाबाद की कुछ सोसाइटियों में बिल्डरों द्वारा दुकानों को मुख्य सड़क से मिलाने के लिए बाउंड्री वाल तोड़ दी गई।

यह अपार्टमेंट एक्ट का खुला उल्लंघन है लेकिन इस मामले में न सिर्फ हूडा फरीदाबाद बल्कि डीटीपी भी चुप हैं। डीटीपी दफ्तर का तो ये हाल है कि वहां जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर बचने की कोशिश की जा रही है।

एनआईटी में धड़ल्ले से तोड़ी भवनों की सील

विधायक सीमा के इशारों पर नाच रहा पालतू ज्वाइंट कमिश्नर

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः एनआईटी इलाके में अवैध निर्माणों पर लगाई गई नगर निगम फरीदाबाद की सील फिर से खुल गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में नए ज्वाइंट कमिश्नर की नियुक्ति सिर्फ अवैध निर्माण गिराने के नाम पर की थी लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक नए ज्वाइंट कमिश्नर को जिस मकसद के लिए लाया गया था, वह पूरा हो रहा है।

नए ज्वाइंट कमिश्नर ने की बैठक

नए ज्वाइंट कमिश्नर जितेन्द्र यादव को इसी महीने सरकार ने नियुक्त किया था। हाल ही में जितेन्द्र कुमार ने एमसीएफ के सभी विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई थी। जिसमें उन्होंने तमाम इलाकों में लगाई गई सील के बारे में सूचना मांगी। लेकिन इस बैठक के बाद एनआईटी के तमाम इलाकों से सील खुलने की सूचनाएं आने लगीं। सूत्रों का कहना है कि समाजसेवी राजेश भाटिया की शिकायत पर एमसीएफ ने एनआईटी में करीब 50 भवनों पर सीलिंग की थी। लेकिन ताजा सूचना के मुताबिक 30 भवनों की सील आश्चर्यजनक रूप से खोल दी गई है और इन भवनों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। इनमें से कई भवनों का नक्शा पास नहीं है, किसी का कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी के पास फायर ब्रिगेड की एनओसी तक नहीं है। इन्हीं नियमों को तोड़ने पर एमसीएफ ने सील लगाई थी लेकिन अब उन सीलों का नामोनिशान यहां से खत्म हो चुका है।

शेष पेज दो पर

पांच-एम-21 में अवैध निर्माण शुरू

फ़रीदाबाद (म.मो.) मज़दूर मोर्चा के 4-10 अप्रैल अंक में एमसीएफ के कण-कण से भ्रष्टाचार.... शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। उसमें उपायुक्त यशपाल यादव जिनके पास उस वक्त निगमायुक्त का कार्यभार भी था, ने अवैध कब्जों एवं निर्माणों की सूची जारी की गई थी। उन्हीं में से एक था उक्त पांच-एम-21। तत्कालीन निगमायुक्त यशपाल यादव के आदेश पर इस अवैध निर्माण को सील कर दिया गया था।

रिश्वतखोरी की छाया में धंधा करने वाले कुछ बिल्डरों ने इस अवैध निर्मित मकान को औने-पौने में खरीद कर आगे से आगे बेच दिया। नये खरीदारों ने अवैध निर्मित मकान को पूरी तरह से ध्वस्त करके इसे सफ़ा-चट प्लॉट में बदल दिया। अब 250 गज के इस प्लॉट पर पुन:अवैध निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। निर्माण कार्य की शैली को देखने व आस-पास के लोगों से चर्चा करने पर पता चलता है कि यहां 5-6 मंजिला बिल्डिंग बनने जा रही है। बिल्डरों की दीदा-दिलेरी तो देखिए उन्होंने पुराने आध इंची पानी कनैक्शन की जगह 1 इंची पानी कनैक्शन बीते सोमवार

को लगा लिया। इसके लिए बकायदा उन्होंने सड़क के नीचे से मशीन द्वारा बोरिंग करके यह काम कराया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस बिल्डिंग का कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है और न ही ऐसा कुछ किया गया है जिससे यह अवैध प्लॉट वैध बन गया हो। यह सम्भव नहीं है कि इस अवैध निर्माण पर निगम अधिकारियों की नज़र न पड़ी हो।

यदि जानकार सूत्रों की माने तो यह सारा गोरख धंधा निगम अधिकारियों की मिलीभगत व संरक्षण में चल रहा है।

जाहिर है कि यह मिलीभगत एवं संरक्षण मुफ़्त में तो मिलता नहीं, इसके लिये बाकायदा मोटे लेन-देन का आदान-प्रदान होता है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी सम्बन्धित अधिकारी शामिल रहते हैं। इस मामले में एम-21 ही इकलौता अवैध निर्माण नहीं है। इस तरह के दर्जनों अवैध निर्माण पांच नम्बर में हो चुके है और इतने ही निर्माणाधीन है। जाहिर है यह लूट कमाई का एक मोटा साधन बन चुका है।